

# अंतिम डिक्री वमुकदमे इव्तदाई

{ऑर्डर 20, सल 6-7, जाबा दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

शमिन्द्रपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान  
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 109/2021  
निर्णय दिनांक :- 21.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कतई रुबस उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -  
वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 40 एच ए की जमाबन्दी सम्वत  
2074 ता 77 के खाता संख्या 28/27 के मुख्या नम्बर 7, 8 में अंकित नाम शमिन्द्रपाल सिंह पुत्र  
गुरतेज सिंह के स्थान पर शमिन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरतेज सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते  
हैं। इस खाते के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।  
आज दिनांक 21.10.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की  
मुद्रा से जारी की गई।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड श्रीकरणपुर जिला श्रीराजसमन्त  
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इयूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 383  
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड श्रीकरणपुर जिला श्रीराजसमन्त  
श्री करणपुर  
दिनांक: 21/10/21



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड श्रीकरणपुर जिला श्रीराजसमन्त  
श्री करणपुर

